न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पारूल कुमारी, उ०प्र०न्यायिक सेवा(यू.पी.03546)

UPHP120034042025
Final Report/255/2025

विविध वाद सं०–192/2025
मु०अ०सं०–328/2025
रमेश पंत बनाम अज्ञात
अन्तर्गत धारा–303(2) बी.एन.एस.
थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–02.07.2026 लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वर्ष 2025 से लम्बित है। वादी मुकदमा पर नोटिस की तामील है, किन्तु वादी मुकदमा के द्वारा अभी तक अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा की टाइपशुदा तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 328/2025, अं०धारा 303(2) बी.एन.एस. अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ''दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये सामान DJI RONIN RS4 GIMBAL को काफी पतारसी सुरागरसी की गयी लेकिन चोरी किये गये सामान DJI RONIN RS4 GIMBAL के बारे में कोई जानकारी नही मिल सकी। मुकदमा उपरोक्त काफी समय से लम्बित है, और अधिक समय तक लम्बित रखना उचित प्रतीत नही होता है। अतः मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये सामान DJI RONIN RS4 GIMBAL की पतारसी सुरागरसी जारी रखते हुए मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या 104/25 दिनांक 17/08/2025 को समाप्त की जाती है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करे।'' वादी मुकदमा अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचक सम्यक रूप से की गयी तथा विवेचना में कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या सं०–104/2025 (मु०अ०सं०–328/2025) स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court